

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 188/2021

निर्णय दिनांक :-

उनवानी

मकुल निर्वाण पुत्री भोलकिष्ट राजपुर, धरुडा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक

निर्णय:-

वादीगण की ओर से रुम्प की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से तहसीलदार बुहाना की उपस्थिती में आज तारीख (6.11.21) को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" वाड वाडीपा स्कीकार डिपा जाकर वाडे ग्राम

सागवा के खाल लंबा 107, 108 मै

मन्सु पुत्री मकुल निर्वाण पुत्री भोलकिष्ट

शुद्ध डिपे जाके आडिय डिपे जारे हें। तहसीलदार

बुहाना राजस्व रेकार्ड में उम्हागुला काल

परागड करे "



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16-11-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प धरुडा के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेत तहसीलदार बुहाना
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)

